

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०संख्या-3 / क०निग०-40-43 / 2012-5560

पटना, दिनांक-19/11/15

कार्यालय आदेश

श्री जितेन्द्र कुमार, नाजिर, जिला कल्याण कार्यालय, नवादा के विरुद्ध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार के द्वारा संज्ञान में लाये गये छात्रवृत्ति में अनियमितता एवं राज्य स्तर पर गठित जांच दल से प्राप्त जांच प्रतिवेदन, जिसमें श्री कुमार को विभागीय कार्यों के निष्पादन में दोषी पाया गया है, के आलोक में श्री कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

- 1- निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला कल्याण कार्यालय, गया निर्धारित किया जाता है।
- 2- निलंबन अवधि में श्री जितेन्द्र कुमार, नाजिर को जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
- 3- प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त होगा।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-3 / क०निग०-40-43 / 2012-5560

पटना, दिनांक-19/11/15

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, नवादा / उपनिदेशक, कल्याण, मगध प्रमण्डल, गया / जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा / गया / श्री जितेन्द्र कुमार, नाजिर, जिला कल्याण कार्यालय, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-3 / क०निग०-40-43 / 2012-5560

पटना, दिनांक-19/11/15

प्रतिलिपि- आई०टी०मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि उक्त आदेश पत्र को ई-मेल पर अविलम्ब भेजें तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार